# न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–180/2026**

**CNR No.UPRP010014442026**

**(पंजीयन सं0–318/2026)**

1– रंजीत यादव पुत्र झम्मन सिंह,

2– कमल सिंह पुत्र रामवीर,

3– राजवीर पुत्र सियाराम,

समस्त निवासी ग्राम चकरपुर कदीम, थाना शाहबाद, जिला रामपुर, उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

धारा–117(2) बी०एन०एस०,
थाना शाहबाद, जिला रामपुर
मु०अ०सं० 315/2025

## आदेश

अभियुक्तगण/प्रार्थीगण संजीव यादव की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता विक्रम सिंह ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि शपथकर्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का सगा बहनोई एवं पैरोकार मुकदमा है। अभियुक्तगण/प्रार्थीगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही लम्बित है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण/प्रार्थीगण की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण/प्रार्थीगण का जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 352, 351(3), 109 बी०एन०एस०, थाना शाहबाद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद क्रिमिनल मिस० बैल एप्लीकेशन सं० 123/2026 में आदेश दिनांकित 26–02–2026 स्वीकार किया जा चुका है। अभियुक्तगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध विवेचना उपरान्त धारा 117(2)बी०एन०एस० की वृद्धि कर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध वृद्धि की गई धारा 117(2)बी०एन०एस० जमानतीय प्रकृति की है। उपरोक्त मामले में सहअभियुक्त संजीव यादव० का जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23–02–2026 को स्वीकार किया जा चुका है। अभियुक्तगण/प्रार्थीगण उचित एवं विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। अतः अभियुक्तगण/प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्तगण/प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण/प्रार्थीगण पूर्व में उपरोक्त अपराध सं० 315/2015 में अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 352, 351(3), 109 बी०एन० एस० में कारागार में निरूद्ध थे। उपरोक्त अभियोगों में अभियुक्तगण/प्रार्थीगण की जमानत



Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.03.07 16:18:39 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 123/2026 आदेश दिनांक 26–02–2026 को स्वीकार हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि विवेचना उपरान्त इस मामले में उपरोक्त अभियोगों के अतिरिक्त बी०एन०एस० की धारा 117(2) की वृद्धि कर दी गई है और अभियुक्तगण पर जमानत पाए अभियोगों के अतिरिक्त अभियोग अंतर्गत धारा 117(2) बी०एन०एस० में भी आरोप पत्र प्रेषित कर दिया है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्तगण/प्रार्थीगण मुख्य अपराध और अभियोजित अधिकांश अभियोगों में माननीय उच्च न्यायालय से जमानत स्वीकार की जा चुकी है। इसलिए जमानत पाये अभियोगों से कम गम्भीर अभियोग में भी उसे जमानत प्रदान की जाए। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्तगण/प्रार्थीगण जमानत पाये अभियोगों से शेष अभियोग अंतर्गत धारा 117(2)बी०एन०एस० गुरूत्तर प्रकृति का है और कम दण्ड से दण्डनीय है। अतः जमानत प्रदान की जाए।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा उपरोक्त तर्को का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण/प्रार्थीगण की पूर्ववर्ती अभियोगों में जमानत सत्र न्यायालय से निरस्त हो चुकी है। इसलिए उपरान्त विवेचना आरोप पत्र में वृद्धि किए गए अभियोग अंतर्गत धारा 117(2)बी०एन०एस० में भी अभियुक्तगण/प्रार्थीगण माननीय उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त कर सकता है।

उभयपक्षों के तर्को को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा भूप सिंह द्वारा दिनांक 10–10–2025 को थाना शाहबाद,जिला रामपुर पर दर्ज करायी गयी इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रारम्भ हुआ कि मेरा भतीजा प्रमोद कुमार s/o दरयाब सिंह निवासी ग्राम धुरियाई थाना शाहबाद रामपुर आज दिनांक 19.10.2025 को शाम लगभग 7.10 बजे अपनी कार नं0 UP 16 T 1515 swift से शाहबाद से अपने गांव धुरियाई जा रहा था। तभी केशरपुर चौराहा बिलारी रोड पर पहले से घात लगाये रोड घेरकर रंजीत यादव, संजीव यादव, राजकुमार यादव व निर्दोष यादव पुत्रगण झम्मन सिंह व कमल सिंह s/o रामवीर, राजवीर s/o सियाराम, गौस मोहम्मद s/o नामालूम व एहसान खांन s/o अबरार खान गांव मित्तरपुर अहरौला थाना शाहबाद जिला रामपुर व आफताब वेग पुत्र वाहिद वेग मौहल्ला सादात थाना शाहबाद रामपुर व कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने एक राय होकर प्रमोद कुमार की कार के सामने रंजीत यादव ने पिकअप नं0 UP22BT 7186 को लगाकर (road hold) प्रमोद कुमार की गाड़ी रूकवाई और सभी ने गांलिया देते हुए प्रमोद को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि आज फंदे में फसा है आज तुझे जिन्दा नहीं झोड़ेगे यह कहते हुये रंजीत यादव ने हाथ में लिये तमंचा व उपरोक्त अन्य लोगो ने हाथ में लिये घातक हथियार से जान से मारने की नियत से प्रमोद कुमार के सिर पर तलवार व लोहे की रोडों से वार किया। अचानक ग्राम केशरपुर से आ रहे पप्पू यादव S/O भूप सिंह यादव व मेरे आने तक प्रमोद यादव को गाड़ी के पास ही मरा समझकर हमारे व अन्य लोगो के आ जाने पर अपनी पिकअप गाड़ी मौके पर ही छोड़कर जंगल की तरफ तमंचा लहराते हुए भाग गये। भागते हुए उक्त सभी लोग कह रहे थे कि साले का काम खत्म हो गया । प्रमोद

कुमार को बेहोशी व गंभीर घायल अवस्था में एम्बुलेंस से CHC शाहबाद ले गये। CHC से अपने साथ थाने लेकर आये थाने से चिट्ठी लेकर CHC शाहबाद ले गये जहां प्रमोद कुमार की गंभीर हालत को देखते हुये रामपुर रेफर कर दिया गया। मैं अब रिपोर्ट लिखाने आया हु । रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की कृपा करें।

अभिलेख से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण/प्रार्थीगण की मु०अ०सं० 315/2025 में अंतर्गत धारा–191(2), 191(3),190,126(2),115(2), 352,351(3), 109 बी०एन०एस० माननीय उच्च न्यायालय से जमानत स्वीकृत हो चुकी है। विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण/प्रार्थीगण पर आरोप पत्र में धारा 117(2)बी०एन०एस० की वृद्धि किया जाना दर्शित है। अभियुक्तगण/प्रार्थीगण की उपरोक्त मामले में अधिकांश अभियोगों में जमानत स्वीकार हो चुकी है और आरोप पत्र में वृद्धि किए गए अभियोग, जमानत पाये अभियोगों से कम दण्ड से दण्डनीय है और जमानती प्रकृति का है।

अतः मामले के समस्त तथ्य,परिस्थितियों एवं सुरक्षित विचारण को दृष्टिगत रखते हुए,अभियुक्तगण/प्रार्थीगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्तगण/प्रार्थीगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्तगण/प्रार्थीगण रंजीत यादव, कमल सिंह एवं राजवीर प्रत्येक को अंकन रू.25,000/–( पच्चीस हजार रूपये) का अतिरिक्त व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के दो–दो प्रतिभू–पत्र सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किए जाने पर, उपरोक्त अभियोग मु०अ०सं० 315/2025 में अंतर्गत धारा 117(2)बी०एन०एस० में जमानत प्रदान की जाती है।

**दिनांक 07–03–2026**

**(भानु देव शर्मा)**
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545